

क्रमांक 283 / कु0स0/स्टेनो/97

बिलासपुर, दिनांक - 26.10.97

आदेश

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.10.97 में म0प्र0 अधिनियम 1973 {क्रमांक 22-1973} की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद, वेतनमान एवं विषय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परिचीक्षावधि पर नियुक्त किया जाता है। यदि आवश्यक हुआ तो परिचीक्षा अवधि विहित प्रावधानों के अन्तर्गत एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी। इनकी सेवायें विश्वविद्यालय परिचालन 31 एवं अध्यादेश क्रमांक 4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।

इनका वेतनमान मूलभूत नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जावेगा।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यह व्यय स्थापना मद शिक्षकों का वेतन शीर्ष से विकलनीय होगा।

क्रमांक	नाम	पद	वेतनमान	विषय	अन्य विवरण
1.	डॉ0 हरीश कुमार	प्रोफेसर	4500-7300/-	बिजनेस मैनेजमेंट	-
2.	कु0 बाबी ब्रम्हे	व्याख्याता	2200-4000/-	बिजनेस मैनेजमेंट	{अ. जा. }

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,



{ एन0के0 तिवारी }
कुलसचिव.

पृ0क्र0 284 / कु0स0/स्टेनो/97.

बिलासपुर, दिनांक - 26.10.97

प्रतिलिपि:-

{1} श्रीमती/श्री/डॉ0 हरीश कुमार

{2} कु0 बाबी ब्रम्हे

को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर

आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही

1. डॉ0 हरीश कुमार, रीडर, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सरदार पटेल, वि0वि0, बल्लभ विद्यानगर {गुजरात}

2. कु0 बाबी ब्रम्हे द्वारा आर0जे0 ब्रम्हे, वि0वि0 परिसर, गुरु घासीदास वि0वि0, बिलासपुर {म0प्र0}

...2...

